न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 216/2023

अनवान : –

1. किशनलाल पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. गोपालराम पुत्र डुंगराम जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. लिलूराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलरार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 16/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता सं. 31/35 के ख. न. 15 की 3.5030 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 12/14 के ख.न. 42 की 12.001 हैक्टर, ख.न. 48 की 5.1980 हैक्टर भूमि कुल 17.1990 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 85/87 के ख.न. 304 की 11.382 हैक्टर भूमि ख.न. 317 की 5.5320 हैक्टर कुल तादादी 16.9340 हैक्टर भूमि में सयुक्त से 900 हिस्से के डुगर पुत्र बस्ती जाति मेघवाल निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर के खाता सं. 31/35 के ख.न. 15 की 3.5030 हैक्टर भूमि एवं रोही मौज जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 12/14 के ख.न. 42 की 12.001 हैक्टर, ख.न. 48 की 5.1980 हैक्टर भूमि कुल 17.1990 हैक्टर भूमि में दोनो खातो में सयुक्त रूप से सायल अकेला 1/6 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 अकेला 2/3 हिस्सां, गैरसायल सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि में आई एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 85/87 के ख.न. 304 की 11.382 हैक्टर भूमि ख.न. 317 की 5.5320 हैक्टर कुल तादादी 16. 9340 हैक्टर भूमि में सायल अकेला 1897/16934 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 अकेला 7587/16934 हिस्सा, गैरसायल सं. 2 अकेला 949/8467 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 3 अकेला 2313/169340 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 4 अकेला 6914/16934 हिस्सा, दावा में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी सं. 5 अकेला 6941/16934 हिस्सा, दावा मे दर्ज प्रतिवादी सं. 6 अकेला 1388/8467 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 7 अकेला 6941/16934 हिस्सा, दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 8 अकेला 578/42335 हिस्सा, दावा मे दर्ज प्रतिवादी सं. 9 अकेला 578/42335 हिस्सा, भूमि के खातेदार काश्तकार है उपरोक्तानुसार हिस्सा कस्सी जमाबन्दी में दर्ज है तथा उपरोक्त अनुसार हिस्सा कस्सी वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थी स0 1 वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 100/93 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है० भूमि व खाता संख्या 101/94 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.5290 है० भूमि में सायल व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा काश्त की भूमि में गैर सायल संख्या 1 ता 6 मदाखलत करने की योजना त्याग दे तथा सींव व डोल तोड़ने से निषिध रहे तथा रहन, बैय व मुन्तकील ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। सायल एवं गैरसायलान का खाता मुश्तरका है तथा सायल एंव गैरसायलान अपने हक व हिस्सा के अनुसार काबिज है तथा सायल ने अपने हक व हिस्से की भूमि को समतल एवं उपजाउ बना रखा है तथा अपने हक व हिस्से की भूमि में खाद, डालकर, ट्रैक्टर चलाकर उपजाउ बना रखा है तथा सायल की अच्छी किस्म की भूमि देखकर गैरसायलान के मन में बदनियती रखने लगे है तथा सायल की अच्छी किस्म की भूमि में हड़प करने की नियत रखने लगे है, तथा सींव डोल मिस्मार करने पर उतारू है इसलिए सायल अपना खाता व लगान गैरसायलान से अलग-अलग करवाने का अधिकारी है। सायल एवं गैरसायलान का खाता मुश्तरका होने के कारण सायल की सींव डोल आदि का झगड़ा रखते है सायल की अच्छी किस्म की भूमि पर गैरसायलान सींव एवं डोल तोड़कर काबिज होना चाहते है तथा सायल की सींव डोल को मिस्मार करके पर उतारू है यदि ऐसा करने में गैरसायलान कामयाब हो जाते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा। इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि को रहन / बैय व मुन्तकिल ना करे एवं रिकार्ड मौका की यथास्थिति जारी करवापाने के अधिकारी है। ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा ललानाबास [illegible] तहसील नोहर के खाता सं. 31/35 के ख.न. 15 की 3.5030 हैक्टर [illegible] तहसील नोहर के खाता सं. 12/14 के ख.न. 42 की 12.001 हैक्टर, ख.न. 48 [illegible] 5.1980 हैक्टर भूमि कुल 17.1990 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 85/87 के ख.न. 304 की 11.382 हैक्टर भूमि ख.न. 317 की 5.5320 हैक्टर कुल तादादी 16.9340 हैक्टर भूमि यानि तीनो खातो में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज हक व हिस्सा भूमि को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 31/35 के ख.नं. 15 की 3.5030 हैक्टेयर एवं रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 12/14 के ख.नं. 42 की 12.001 है०, ख.नं. 48 की 5.1980 है। कुल 17.1990 है0 एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 85/87 के ख.नं. 304 की 11.382 है०, ख.नं. 317 की 5.5320 है0 कुल 16.9340 है० में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 31/35 के ख.नं. 15 की 3.5030 हैक्टेयर एवं रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 12/14 के ख.नं. 42 की 12.001 है०, ख.नं. 48 की 5.1980 है। कुल 17.1990 है0 एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 85/87 के ख.नं. 304 की 11.382 है०, ख.नं. 317 की 5.5320 है0 कुल 16.9340 है० भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड [illegible] अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 22.08.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:55:11 IST
Reason: SelfAttested